कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता

संचालक मण्डल की 31वीं बैठक, दिनांक 24.09.2014 के प्रस्ताव एवं ठहराव क्र0 31.19 के तहत् निर्णय लिया गया है कि छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को छ0ग0 शासन की भांति कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जावे।

उक्त निर्णय के परिपालन में, निगम कर्मचारियों को छ0ग0 शासन के आदेश क्र0–107/एफ–1005279/वित्त/नियम/4/2013, रायपुर दिनांक 03 अप्रैल 2013 द्वारा जारी प्रचलित आदेशो के अनुरूप कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है। यह आदेश दिनांक 01.02.2013 से प्रभावशील होगा।

संलग्नः– छ0ग0 शासन वित्त एवं योजना विभाग द्वारा प्रदत्त वित्त निर्देश 14/2013

प्रबंधक कार्मिक

(43)

171

वित्त निर्देश 14/2013

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 107/एफ-1005279/वित्त/नियम/चार/2013 रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-राज्य शासन के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करने बाबत् ।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा के कर्मचारियों को निम्नानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 4 (तीन) (ख) के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत ऐसे शासकीय सेवक जो बिन्दु कमांक (2) के अनुसार पात्रता नहीं रखते है, को 250 रूपये प्रतिमाह की दर से कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता की पात्रता होगी ।

(2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा के ऐसे सदस्यों को, जो हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 (Key) की-डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के संबंध में विभाग अथवा कार्यालय द्वारा आयोजित कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करते हो, उन्हें रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता की पात्रता होगी ।

2/ इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के यू.ओ. कमांक 136, दिनांक 28.03.2013 द्वारा सहमति दी गई है ।

यह आदेश दिनांक 1.2.2013 से प्रभावशील होगा ।

(एस0के0 चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग

NayakD:\Documents and Settings\RAJESH\My Documents\Vitt nirdesh\pdf_2013\Doc File\14.doc